प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 21.05.2001 को समय सुबह लगभग-10:00 बजे 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुरादाबाद कोर्ट में 11 बीघा जमीन के केस की तारीख करने बस से जा रहे थे, विपक्षीगणों को बस रोककर देशी तमन्चों से गोली मारकर घायल कर दिया व धारदार चाकू से घायल मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन सहित 03 लोगों को काट डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-03-2019 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-09-2020 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.01.2022 तक 20 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 21.05.2001 को 11 बीघा जमीन के केस की तारीख करने बस से जा रहे थे, विपक्षी मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को देशी तमन्चों से गोली मारकर घायल कर, धारदार चाकू से काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-428/2021 जाकिर बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर (बन्दी सं0-10962) पुत्र श्री गुलाम साबिर निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-68/2022/1353(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-68/2022/1353/22-2-20221-21(22)/2020

दिनांक 02 जून, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 21.05.2001 को समय सुबह लगभग-10:00 बजे 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुरादाबाद कोर्ट में 11 बीघा जमीन के केस की तारीख करने बस से जा रहे थे, विपक्षीगणों को बस रोककर देशी तमन्चों से गोली मारकर घायल कर दिया व धारदार चाकू से घायल मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन सहित 03 लोगों को काट डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-03-2019 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-09-2020 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.01.2022 तक 20 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 21.05.2001 को 11 बीघा जमीन के केस की तारीख करने बस से जा रहे थे, विपक्षी मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को देशी तमन्चों से गोली मारकर घायल कर, धारदार चाकू से काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in